संख्या– 82 भा.स(i) /96–आयुष–1–2020–204/2020

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग– लखनऊः दिनांक 22, दिसम्बर, 2020

विषय– शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1231/शिक्षा–2413/2020(नीट–2020), दिनांक 02.12.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू0जी0, 2020 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:–

1– शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी कालेजों में स्नातक बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विवरण निम्नवत् है:–

(1) **छात्रों के आनलाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर फोटो अपलोड शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने हेतु तकनीकी संस्था को नामित किया जाना।**

(2) **छात्रों के आनलाईन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना–**

नीट यूजी–2020 में अर्ह घोषित छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिन्ट आउट अनुमन्य होगा।

अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग के समय कराया जाना अपेक्षित है।

(3) **राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों हेतु अर्हतायें** (Eligibility)

शैक्षणिक सत्र 2020–21 में काउन्सिलिंग हेतु अर्हतायें निम्नवत् प्रस्तावित हैं:–

1. ऐसे छात्र जो नीट 2020 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुए हो तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

2. प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(अ) जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ब) ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "सामान्य निवास प्रमाण–पत्र" प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) ऐसे छात्र, जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो, को प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों हेतु अर्हताएं (Eligibility)

मात्र ऐसे छात्र, जो नीट 2020 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुए हो तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगें। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों /विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं की सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का मूल निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

नोट–

नीट यू0जी0 यू0पी0–2020 में डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–157/तीन–2003–77(11)/83 दिनॉक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जायेगा।

(5) शैक्षिक अर्हताएं–

अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलाजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होगीं। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी, जो निम्नवत् हैं :–

1. अनारक्षित अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत अंक तथा नीट परीक्षा में 50 परसेन्टाइल (Percentile) अंक एवं अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को नीट परीक्षा में 45 परसेन्टाइल (Percentile), जैसा कि आल इण्डिया नीट 2020 के ऑनलाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा इन श्रेणियों के दिव्यांग छात्रों के लिए अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में औसत 40 प्रतिशत अंक तथा नीट परीक्षा में 40 परसेन्टाइल (Percentile) अंक, जैसा आल इण्डिया नीट 2020 के ऑन लाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. यूनानी कालेजों में बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलाजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा 10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा (काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जायेगी)।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/सी0सी0आई0एम0/सी0सी0एच, नई दिल्ली द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

(6) काउन्सिलिंग प्रक्रिया–

नीट यू0जी0–2020 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आयुर्वेदिक /यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों की राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाली समस्त सीटों पर ऑन लाइन काउन्सिलिंग राज्य सरकार द्वारा कराया जाना है। काउंसिलिंग प्रक्रिया न्यूनतम दो चकों में तथा मॉपअप चक्र में सम्पन्न किया जाना अपेक्षित है।

(7) काउंसिलिंग कार्यक्रम–

शैक्षणिक सत्र 2020–21 की काउंसिलिंग कार्यक्रम का निर्धारण शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड अपने स्तर से निर्धारित कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं काउंसिलिंग हेतु बनी बेबसाइट के द्वारा सूचित किये जाने का प्रस्ताव तथा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा काउंसिलिंग तिथि बढ़ाये जाने पर काउंसिलिंग की तिथि शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी।

Rajput

(8) **पंजीकरण शुल्क**

नीट यू0जी0 2020 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक चक्र की काउन्सिलिंग हेतु आन लाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र से पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0–2000/– (रूपये दो हजार मात्र) आन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(9) **सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि)**

नीट यू0जी0 2020 की काउन्सिलिंग के माध्यम से राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त छात्र/छात्राओं को सिक्योरिटी मनी के रूप में रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु यह धनराशि रू0 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा।

- **जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवंटन के पश्चात् संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा, उनकी सिक्योरिटी धनराशि महाविद्यालय को वापस कर दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।**

(10) **काउन्सिलिंग बोर्ड–**

नीट यूजी–2020 की मेरिट सूची को एडाप्ट करते हुए आयुष विधा के पाठ्यक्रमों (बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0/बी0एच0एम0एस0) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है–

काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण	काउन्सिलिंग बोर्ड में अधिकारियों की प्रस्थिति	प्रस्तावित नाम
शासन द्वारा नामित अधिकारी :–	अध्यक्ष	श्री राज कमल यादव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
शासन द्वारा नामित निदेशक	सदस्य सचिव	प्रो0 एस0एन0 सिंह, निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0।
सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य	श्री लक्ष्मण सिंह, उप सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
शासन द्वारा नामित किसी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर	सदस्य	**अनुसूचित जाति श्रेणी–** डा0 बच्चू सिंह, रीडर, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ। **अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी–** डा0 एस0 एस0 पाल, प्रोफेसर, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ। **अनारक्षित श्रेणी–** डा0 अशोक कुमार सिंह, प्रोफेसर, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ। **अल्पसंख्यक श्रेणी** प्रो0 मोहम्मद मजाहिर आलम, प्रोफेसर, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ।
आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी निदेशालय से निदेशक आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथ द्वारा नामित एक–एक अधिकारी	सदस्य	संबंधित निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा।
निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी अल्पसंख्यक श्रेणी के कालेजों से नामित	सदस्य	1–प्रतिनिधि, जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कालेज, देवबन्द, सहारनपुर। 2–प्रतिनिधि–भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर। 3–प्रतिनिधि–वैक्सन होम्योपैथी मेडिकल कालेज, नोएडा।

(11) **राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण :–**

प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा :–

उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

नोट :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/ 4/1/2002/का–2/19 टी0सी0 दिनॉक 8.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार E.W.S. का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली द्वारा E.W.S. के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी है।

क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण

नीट यू0जी0 2020 में विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जायेगा :–

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिये	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0सी0सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा :–

(क) काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व शासन के निर्देशों पर काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थीहोने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगें।

(ग) कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2–2015, दिनॉक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में आयुष यू0जी0 कोर्स 2020 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनॉक 01.04.2020 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

(ड) शासनादेश संख्या–22 सी0एम0(1)/26.03.2013 दिनॉक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

बिन्दु संख्या–3 जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा के सम्बन्ध में प्रस्ताव है।

बिन्दु संख्या–4 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियॉ जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा।।

दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम–2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की

जाँच के संबंध में नोडल सेन्टर/मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

(12) निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं/डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(13) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करेंगें एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करेंगें साथ ही सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय अपने शुल्क का विवरण निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगें ताकि इन कालजों/विश्वविद्यालयों के शुल्क का विवरण विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

(14) मॉपअप राउण्ड आवंटन

दो चक्रों की काउंसिलिंग के पश्चात् राजकीय एवं निजी क्षेत्र की आयुष विधाओं की अवशेष सीटों को मॉपअप राउण्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

(15) मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह होंगें :-

1- मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट-2020 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0-2,000/-(रू0 दो हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क ऑन लाइन प्रक्रिया से जमा करते हुए संबंधित बेवसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। परन्तु उन्हें कोई धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी।

2- मॉपअप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगें जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आंवटित न हुई हो।

3- आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया ऑन स्पॉट पूर्ण की जायेगी।

4- इस आवंटन में कोई पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमन्य नहीं होगा।

(16) मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगें :-

1- नीट-2020 की मेरिट सूची के आधार पर प्रथम/द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से बी0ए0एम0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 आवंटन प्राप्त प्रवेशित अभ्यर्थी।

2- मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

विशेष आवंटन (मॉपअप राउण्ड) में अभ्यर्थियों को समान पाठ्यक्रम में कालेज का परिवर्तन/पुनरावंटन अनुमन्य नहीं होगा, यद्यपि पाठ्यक्रम/विधा परिवर्तन (Course Change) का विकल्प ही अनुमन्य होगा। मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटन स्थल पर ही सम्पन्न की जायेगी।

(17) अभिलेखों का सत्यापन :-

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थियों द्वारा कराया जायेगा।

शैक्षणिक अभिलेख-

1- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र।

2- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य या मूल निवास प्रमाण पत्र।

3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0'सी' सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेंगा, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा।

(18) नीट यू0जी0 2020 की मेरिट से आयुष यू0जी0 कोर्स 2020 में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को आनलाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र से पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जाने वाली धनराशि "निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ" के नाम खुले खाते में डाला जायेगा।

(19) धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी मनी) के लिए मात्र राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट "निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ" के नाम देय हो, ही मान्य होगा।